दूरभाष संख्या:— 06212817449(का०)
मो० 9031071547(का०)
Email : bdo.boc-mu-bih@nic.in

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बोचहाँ, मुजफ्फरपुर।

****

विज्ञापन संख्या—01/2024—25
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि—14.01.2025

ग्राम कचहरी के न्यायमित्र के रिक्त पद पर संविदा पर नियोजन हेतु सूचना।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या—8006/पं0 रा0, दिनांक—30.08.2024 एवं जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक:—3347/पं० दिनांक:—04.11.2024 के आलोक में ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के पद पर संविदा पर नियोजन "बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007" के आलोक में ग्राम कचहरी के न्यायमित्र के पद पर संविदा पर नियोजन "बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014" के आलोक में किया जाना है।

उक्त प्राप्त निदेश के आलोक में बोचहाँ प्रखण्ड के रिक्त ग्राम कचहरियों में न्यायमित्र के पदों पर संविदा आधारित नियोजन "बिहार ग्राम कचहरी के न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) नियमावली 2007" के प्रावधानों के अधीन अर्हता धारण करने वाले इच्छुक व्यक्तियों से संलग्न विहित प्रपत्र (अनुलग्नक—1) में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। प्रखण्डन्तर्गत ग्राम कचहरियों में आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	कुल रिक्ति की संख्या	ग्राम कचहरी का नाम	आरक्षण कोटि	अभ्युक्ति
1	बोचहाँ	20	नरमा	अनारक्षित	
2			सहिला रामपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
3			नरकटिया	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
4			कफेन चौधरी	अनुसूचित जाति	
5			झपहाँ	अनारक्षित	
6			रामपुर जयपाल	पिछड़ा वर्ग	
7			पटियासा	अनारक्षित	
8			गरहाँ	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
9			कर्णपुर दक्षिणी	अनारक्षित (महिला)	
10			कर्णपुर उत्तरी	अनुसूचित जाति	
11			लोहसरी	अनारक्षित	
12			भुताने	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
13			देवगन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
14			उनसर	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
15			मझौली	अनारक्षित (महिला)	
16			आदिगोपालपुर	अनुसूचित जाति (महिला)	
17			बल्थी रसुलपुर	अनारक्षित	
18			मैदापुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
19			शर्फुद्दीनपुर	अनारक्षित	
20			विशुनपुर जगदीश	अनारक्षित	

1. नियोजन हेतु अर्हत्ता:–

क्र० सं०	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	आयु	कार्यानुभव	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम कचहरी न्यायमित्र (मानदेय–7000/– रुपये प्रति माह)	(i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला का निवासी हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम विधि स्नातक डिग्रीधारी प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा।	दिनांक– 01.01.2024 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी।		

2. **अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक अनुदेश:–**

(i) ग्राम कचहरी के न्यायमित्र के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर **आवेदित पद का नाम एवं पंचायत/ग्राम कचहरी का नाम** अंकित करना अनिवार्य होगा।

(iii) आवेदन पत्र के साथ दो 10"×6" साईज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा डाक टिकट के साथ संलग्न करना होगा।

(iv) आवेदन पत्र के योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र/जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए) जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

(v) जिनका चयन होगा वे काउसिंलिंग के लिए निर्धारित तिथि/समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र/जाति प्रमाण पत्र के साथ–साथ उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे।

(vi) नियोजन के पूर्व यथा आवश्यक निवास प्रमाण–पत्र देना होगा।

(vii) छाया प्रति के आधार पर यथा आवश्यक जाँच कराई जाएगी एवं किसी प्रकार की गलती पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(viii) आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साईज का स्वअभिप्रमाणित फोटो होना आवश्यक होगा।

(ix) अधूरे एवं अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(x) आरक्षण का लाभ पाप्त करने वाले उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(xi) काउंसिलिंग / योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. ग्राम कचहरी के न्यायमित्र के पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति पैनल निर्माण, आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम रूप से नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई हेतु निम्न रूप से समय सीमा निर्धारित किया जाता है।

(क) आवेदन प्राप्ति की तिथिः– **31.12.2024 से 14.01.2025 तक**

(ख) मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित करने की तिथिः– **29.01.2025**

(ग) तैयार पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु विहित समयः–**30.01.2025 से 14.02.2025 तक**

(घ) दावा / आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची का प्रकाशनः–**21.02.2025**

(ङ.) मेधा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी के न्यायमित्र के रिक्त पद पर काउंसिलिंग की तिथिः– **28.02.2025**

(च) काउंसिलिंग के पश्चात् नियोजन पत्र का वितरण :– **11.03.2025**

5. इस विज्ञप्ति को मुजफ्फरपुर जिले के वेबसाईट **http:muzaffarpur.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बोचहाँ, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः–1524 / मु0, दिनांकः–30 / 12 / 2024

प्रतिलिपिः– सभी ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच / उपसरपंच / पंच / ग्राम कचहरी सचिव प्रखण्ड–बोचहाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी बोचहाँ को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करते हुए निदेश दिया जाता है कि "बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली 2007 " के प्रावधानों के अधीन नियोजन से संबंधित कार्य अपने अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन एवं प्रपत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपिः– वरीय पदाधिकारी, बोचहाँ मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बोचहाँ, मुजफ्फरपुर।

बिहार सरकार

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर

ई-मेल– dpro-muz-bih@nic.in वेबसाइट - muzaffarpur.bih.nic.in दूरभाष/फैक्स– 06212210030

पत्रांक :– 3347 /पं० (जिला पंचायत प्रशाखा) दिनांक :– 04 / 11 /2024

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति
–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

विषय :– ग्राम कचहरी के सचिव एवं ग्राम कचहरी के न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8006/पं०रा०, दिनांक 30.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा ग्राम कचहरी के सचिव एवं न्यायमित्र की नियुक्ति 60 कार्य दिवस के अंदर करने हेतु निदेश प्राप्त हुआ है।

अतएव उक्त क्रम में प्राप्त पत्र एवं आरक्षण रोस्टर की प्रति संलग्न कर भेजते हुये निदेश दिया जाता है कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में नियमानुसार नियोजन ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

30/10/24

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

1236

पत्र संख्याः–4प / ग्रा०क०स्था०–80–07 / 2024 / 8006 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय उप विकास आयुक्त
गोपनीय शाखा
ई-मेल / स्पीड पोस्ट
05 SEP 2024

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०

अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 30 / 8 / 2024

विषयः– ग्राम कचहरी सचिव / न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 5381 दिनांक 15.05.2023 एवं 5243 दिनांक 14.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 की कंडिका–3 एवं ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 की कंडिका–3 के प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्यायमित्र एवं एक सचिव को संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए विभाग को सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

ज्ञातव्य है कि ग्राम कचहरी सचिव / न्यायमित्र के पद रिक्त रहने के कारण ग्राम कचहरियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन में विलम्ब हो रहा है। अतएव वैसे ग्राम कचहरी जहाँ सचिव / न्यायमित्र के पद रिक्त है वहाँ रिक्त पदों के रोस्टर क्लियरेंस करते हुए उनका नियोजन शीघ्र पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

कुछ जिलों (यथा जहानाबाद एवं नवादा) द्वारा ग्राम कचहरी न्यायमित्र का संविदा नियोजन पूर्व में निर्गत आरक्षण रोस्टर के अनुसार किये जाने अथवा संशोधित रोस्टर के अनुसार किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 21485 दिनांक 22.11.2023 द्वारा अधिसूचित बिहार अधिनियम 19 / 2023 के आलोक में रिक्त पदों पर नियोजन किये जाने संबंधी प्रावधान को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रदद् कर दिया गया है।

लगातार......

पंचायत 8906 5-9-24

7154 918 27/9/24

806 14/9/24

अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2622 दिनांक 26.02.2019 द्वारा बिहार पदों में एवं सेवाओं में नियुक्ति हेतु निर्गत 100 बिन्दुओं मॉडल रोस्टर के आलोक में ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 एवं ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के पदों पर यथाशीघ्र संविदा नियोजन करना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–4प/ग्रा०क०स्था०–80–07/2024/8006/पं०रा०, दिनांक 30/8/2024

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–4प/ग्रा०क०स्था०–80–07/2024/8006/पं०रा०, दिनांक 30/8/2024

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ग्राम कचहरी सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

संख्या 63 पटना, दिनांक 05/01/2015

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा–94(1) के साथ पठित धारा–146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।– (1) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2 परिभाषाएं।– जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6 2006),

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ग) "जिला पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी जिला का जिला दण्डाधिकारी;

(घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है प्रमंडल का आयुक्त;

(ङ) "ग्राम कचहरी" से तात्पर्य है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–90 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ग्राम कचहरी;

(च) "सरपंच" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–93(1) के अधीन ग्राम कचहरी का निर्वाचित सरपंच,

(छ) "ग्राम कचहरी का पंच" से अभिप्रेत है किसी ग्राम कचहरी का निर्वाचित पंच;

(ज) "अनुमंडल दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अनुमंडल का अनुमंडल दंडाधिकारी;

(झ) "प्रखंड विकास पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी;

(ञ) "वाद" से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय वाद;

(ट) "प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी" से अभिप्रेत है प्रखंड में इस पद पर नियुक्त कोई पदाधिकारी;

(ठ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

3 ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन।– इस नियमावली के नियम 11 में यथासमनुदेशित कृत्यों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का, संविदा के आधार पर, नियोजन किया जा सकेगा।

ग्राम कचहरी सचिव के रूप में सेवा संतोषजनक रहने पर संबंधित कर्मी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के लिए सेवा में बने रहने हेतु अवधारित आयु सीमा तक सेवा में रह सकेंगे अन्यथा इस नियमावली के नियम–12 के कार्रवाई द्वारा हटा दिए जा सकेंगे।

4. आरक्षण।– (1) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए भी प्रभावी होंगे।

(2) प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए कर्णांकित पदों पर, यथाशक्य, 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद को उसी आरक्षण कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

5. नियोजन हेतु अर्हत्ता।–

(1) शैक्षणिक योग्यताः– शैक्षणिक अर्हता इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता होगी;

परन्तु स्नातक डिग्रीधारक या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित अर्हताधारक अभ्यर्थियों को मेधा क्रम अवधारण में अधिमानता (Weightage) दी जाएगी।

(2) आयुः– जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा हो, उस वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा वर्ग तीन के सरकारी पदों पर नियोजन हेतु निर्धारित है,

परन्तु, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर संविदा पर नियोजन के लिए सेवा में बने रहने हेतु निर्धारित आयु सीमा ग्राम कचहरी सचिव नियोजन के लिए भी प्रभावी होगी।

(4) कार्यानुभवः– किसी प्रकार का पूर्व कार्यानुभव आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु, ग्राम कचहरी सचिव के पद के कार्य अनुभव के लिए मेधा क्रम अवधारण में अधिमानता (Weightage) दी जाएगी।

6. नियोजन की प्रक्रिया।– (1) जिला स्तर के लिए लागू रोस्टर के आधार पर, जिला के सभी ग्राम कचहरी सचिव की आरक्षण कोटिवार रिक्ति का ब्योरा, नियोजन के लिए शर्तों एवं अर्हताओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिला के संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत, संबंधित ग्राम कचहरी तथा जिला के जिला परिषद् के कार्यालय के सूचना पट पर भी, इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) खुलापन एवं पारदर्शिता तथा अभिलेखों के उचित रख–रखाव हेतु, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन विहित प्रपत्र (अनुसूची–I) में पंचायती राज विभाग द्वारा विहित रीति से केवल ऑनलाईन (Online) प्राप्त किये जायेंगे।

(3) प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के द्वारा नये सचिव के नियोजन हेतु मेधा–अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा।

(4) ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ढाई प्रतिशत अंक देय होगा। प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि छः माह से अधिक है तो उसे

एक वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए ढाई प्रतिशत अंक देय होगा। परन्तु, इस प्रकार प्राप्त भारांक (Weightage) 12.5 प्रतिशत से अनधिक होगा।

(5) उप नियम (4) में कार्यानुभव के लिए प्रावधानित अंकों के अतिरिक्त स्नातक डिग्रीधारक को 10 प्रतिशत अंको की तथा स्नातकोत्तर डिग्रीधारक को 20 प्रतिशत अंको की अधिमानता देय होगी।

(6) ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा:-

(क) ग्राम कचहरी के सरपंच — अध्यक्ष
(ख) ग्राम कचहरी के उप सरपंच — सदस्य
(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी — सदस्य सचिव

(नोटः— जहाँ सरपंच का पद रिक्त हो, वहाँ, उप—सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किसी पंच को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा जो सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखनेवाले हो।)

(7) समिति की बैठक में मेधा सूची नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा अनुमोदन हेतु रखी जाएगी।

(8) अनुमोदित मेधा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट पर प्रदर्शित कर उस पर आपत्ति, अगर कोई हो, देने हेतु 15 दिनों का समय दिया जाएगा। प्राप्त आपत्ति के लिए आपत्तिकर्त्ता को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। समिति एक सप्ताह में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेगी और मेधा सूची पुनः प्रकाशित की जाएगी एवं उसकी एक प्रति, पूर्ण कार्यवाही के साथ, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जाएगी।

(9) प्रखंड विकास पदाधिकारी सूची की जाँच करेंगे और उसे अधिकतम 15 दिनों के अन्दर अनुमोदित करने का प्रयास करेंगे। यदि 21 दिनों में प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुमोदन या अन्यथा कोई आपत्ति की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सूची उनके द्वारा अनुमोदित समझी जाएगी एवं अनुमोदित सूची ग्राम कचहरी के सूचना पट पर पुनः प्रदर्शित की जाएगी और सफल अभ्यर्थी को सरपंच के हस्ताक्षर एवं मुहर से निबंधित डाक के द्वारा नियोजन पत्र (अनुसूची—II) निर्गत किया जाएगा। यदि प्रखंड विकास पदाधिकारी से कोई आपत्ति है तो समिति द्वारा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा।

(10) सफल अभ्यर्थी से प्राप्त सहमति पत्र (अनुसूची—III) के आधार पर समिति द्वारा योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की जाँच कर योगदान स्वीकृत किया जायेगा। प्रमाण—पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

7. अपील।— इस नियमावली के अधीन ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन संबंधी मामले में किसी भी प्रकार की अपील ऐसे नियोजन के 30 (तीस) दिनों के भीतर संबंधित जिला पंचायती राज पदाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी। प्राप्त अपील पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी सक्षम होंगे। यदि जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 45 दिनों के अन्दर अपील पर कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं दिया जाता है तो नियोजन बरकरार रखा जाएगा।

8. सेवा संबंधी अन्य शर्त्ते।— (1) ग्राम कचहरी अपने द्वारा नियोजित सचिवों को नियत मानदेय का भुगतान करेगी। सचिव के नियत मानदेय, जो सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि से कम नहीं होगा, का अवधारण ग्राम कचहरी की अपने आय स्रोतों, जिसमें सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित होगा, का

आकलन कर किया जाएगा। नियत मानदेय की राशि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी।

(2) नियोजित सचिव प्रत्येक कार्य दिवस को ग्राम कचहरी में संधारित उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।

(3) नियम–12 में उल्लिखित कारणों या अन्यथा सेवा असंतोषप्रद पाए जाने पर, ग्राम कचहरी सचिव को, अपने बचाव के लिए पर्याप्त अवसर देकर, उन्हें लघु दण्ड एवं वृहत दण्ड दिया जा सकेगा।

(4) यदि किसी ग्राम कचहरी विशेष में सचिव का पद रिक्त हो जाए तो उस ग्राम कचहरी के कार्यों के सम्पादन हेतु, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी समीपवर्ती (Contiguous) ग्राम कचहरी के सचिव को उस अवधि के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा जब तक उस ग्राम कचहरी में नयी नियुक्ति नहीं हो जाती है। प्रतिनियुक्त सचिव को, नियत मानदेय का 30 (तीस) प्रतिशत राशि, प्रतिनियुक्ति भत्ता के रूप में, अधिकतम छः माह तक के लिए, उस ग्राम कचहरी से देय होगा जहाँ उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है।

(5) संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव की कार्यावधि ग्राम कचहरी की कार्यावधि तक के लिए होगी। ग्राम कचहरी की कार्यावधि पूर्ण होने पर ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी की संविदा स्वतः समाप्त हो जाएगी:

परन्तु राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना द्वारा उनकी कार्य अवधि का विस्तार कर सकेगी;

परन्तु यह भी कि नवगठित ग्राम कचहरी द्वारा संविदा पर नए सिरे से नियोजन पूर्ण होने तक वह ग्राम कचहरी सचिव के कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे और नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने पर नवनियोजित ग्राम कचहरी सचिव को अपना प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

9. नियत मानदेय का भुगतान।– अनुपस्थिति प्रतिवेदन/विवरणी के आधार पर सरपंच एवं उप–सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से मानदेय वेतन का भुगतान किया जायेगा;

परन्तु यह कि किसी ग्राम कचहरी में सरपंच अथवा उप–सरपंच या दोनों में से किसी एक या दोनों पद के रिक्त रहने पर पंचों के अपने बीच से बहुमत द्वारा चयनित एक/दो पंचों के संयुक्त हस्ताक्षर से नियत मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

10. छुट्टी।– (1) ग्राम कचहरी सचिवों को वर्ष में 12 (बारह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। एक बार में 5 (पाँच) दिनों से अधिक के लिए आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जा सकेगा।

(2) उपर्युक्त वर्णित अवकाश की स्वीकृति ग्राम कचहरी में सरपंच अथवा उनकी अनुपस्थिति में उप–सरपंच द्वारा दी जाएगी।

11. ग्राम कचहरी सचिव के कृत्य एवं दायित्व।– (1) ग्राम कचहरी में दायर मामलों से संबंधित वाद–पंजी एवं वाद–अभिलेखों का संधारण एवं अभिरक्षण;

(2) ग्राम कचहरी से संबंधी लेखा पंजी/रोकड़ पंजी एवं अन्य सभी प्रकार के पंजियों का संधारण एवं अभिरक्षण;

(3) सरपंच/न्यायपीठ के समक्ष वाद अभिलेखों एवं पंजियों का उपस्थापन तथा वाद संबद्ध पक्षों को सूचना/सम्मन का तामिला;

(4) ग्राम कचहरी/न्यायपीठ से संबंधित अन्य सभी प्रकार के कार्यों का निष्पादन;

(5) ग्राम कचहरी के कारबार के संचालन के संबंध में, समय–समय पर, सौंपे गए अन्य दायित्व।

12. अनुशासनिक कार्रवाई।– (1) ग्राम कचहरी में अनियमित रूप से उपस्थित रहने, समयानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करने तथा कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने संबंधी आरोपों के लिए ग्राम कचहरी के सरपंच या उनकी अनुपस्थिति में उप–सरपंच के द्वारा सचिव से स्पष्टीकरण लेकर उसके पुनर्विलोकन के पश्चात आवश्यकतानुसार दण्ड देने पर विचार किया जा सकेगा;

परन्तु, नियोजन काल में दो निन्दन की सजा होने पर उसकी सेवा स्वतः समाप्त समझा जाएगी।

(2) भ्रष्ट आचरण, कदाचार एवं मानसिक दिवालियापन संबंधी आरोपों की स्थिति में ग्राम कचहरी के सरपंच या उनकी अनुपस्थिति में उप–सरपंच ग्राम कचहरी सचिव से स्पष्टीकरण लेकर उसकी जाँच करने के पश्चात्, आवश्यकतानुसार, उसे सेवामुक्त करने पर विचार कर सकेंगे।

(3) किसी भी मामले में जेल में बिताई गई अवधि के दौरान ग्राम कचहरी सचिव स्वतः निलंबित समझे जायेंगे। निलंबन अवधि में नियत मानदेय की 50 (पचास) प्रतिशत राशि जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में देय होगी।

(4) विभागीय कार्रवाई/कार्यवाही के क्रम में जिसमें आरोप गठित किए गए हों, उचित सत्यापन के बाद, यदि ग्राम कचहरी सचिव दोषी पाया जाए तो उसे निम्न दण्ड दिए जा सकेंगे :–

(i) दण्ड – निन्दन
(ii) दो निन्दन की सजा दिए जाने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

13. सरपंच के निर्णय के विरूद्ध अपील।– सरपंच के निर्णय के विरूद्ध अपील, ऐसे निर्णय के पारित किए जाने के 30 दिनों के अन्दर जिला पंचायत राज पदाधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी, जिसकी सुनवाई जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

14. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।– राज्य सरकार इस नियमावली के किसी प्रावधान को लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को अधिसूचना/अनुदेश के द्वारा दूर कर सकेगी।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति।– (1) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 तथा उक्त से संबंधित आदेश, अनुदेश आदि एतद द्वारा निरसत किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस नियमावली, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किए गए कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अन्तर्गत की गई समझी जाएगी मानो यह उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह०) 29.12.14

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8प/वि–4–1011/2011/ 63 /पं0रा0 पटना, दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(ह०) 29.12.14

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8प / वि–4–1011 / 2011 / ....63...... / पं0रा0 पटना, दिनांक ..05 / 01.. / 2015

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार / मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान / सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8प / वि–4–1011 / 2011 / .....63..... / पं0रा0 पटना, दिनांक ...05 / 01.. / 2015

प्रतिलिपि – सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार विधान सभा / मुख्यमंत्री सचिवालय / निबंधक, पटना उच्च न्यायालय / महाधिवक्ता को सूचनार्थ अग्रसारित।

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची–I

आवेदन प्रपत्र

ग्राम कचहरी में सचिव के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू हो, उसे (✓) करें)

स्वयं अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. नियोजन के प्रखंड एवं ग्राम कचहरी का नाम :–
2. अभ्यर्थी का नाम :–
3. (क) पिता/पति का नाम :–
   (ख) माता का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. लिंग :– पुरूष ☐ महिला ☐ 6. अर्हता की तिथि को आयु ☐ वर्ष ☐ माह ☐ दिन
7. स्थायी पता :– ग्राम/शहर/मोहल्ला/सड़क/ ....
   ....
   ....
   थाना :– .... जिला :– .... पिन कोड :– ....
8. पत्राचार का पता :–ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर ....
   ....
   ....
   थाना :– .... जिला :– .... पिन कोड :– ....
9. जाति :– सामान्य ☐ आरक्षित ☐
10. आरक्षण की कोटि :–अ०जा० ☐ अ०ज०जा० ☐ अ०पि०व० ☐ पि०व० ☐
11. यदि विकलांग हो तो :– दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐
12. योग्यता :–

शैक्षणिक	विद्यालय/बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक
1	2	3	4	5
इंटर				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान ....

तिथि ....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमती .... से ग्राम कचहरी सचिव के पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .... है।

दिनांक :- ....

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
(मुहर के साथ)

आवश्यक अनुदेश

1. आवेदन पत्र ग्राम कचहरी के कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित पत्र द्वारा भेजा जाए।
2. आवेदन पत्र के साथ दो 10"× 6" साईज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प के साथ संलग्न करना है।
3. आवेदन पत्र के साथ योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र / अंक पत्र / जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. जिनका चयन होगा वे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्र / जाति प्रमाण पत्र के साथ–साथ उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे।
5. नियोजन के पूर्व यथाआवश्यक निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
6. छाया प्रति के आधार पर यथाआवश्यक जॉंच कराई जाएगी एवं किसी प्रकार की गलती पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
7. काउन्सिलिंग / योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :- अ०जा० – अनुसूचित जाति
अ०ज०जा० – अनुसूचित जन जाति
अ०पि०व० – अत्यंत पिछड़ा वर्ग
पि०व० – पिछड़ा वर्ग

अनुसूची–II

बिहार ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन हेतु नियोजन पत्र

सेवा में,

श्री / सुश्री / श्रीमती ....

....

....

प्रसन्नतापूर्वक सूचित करना है कि .... प्रखंड के अन्तर्गत .... ग्राम कचहरी में .... के रूप में नियोजित करने हेतु आपका चयन किया गया है। आपका नियोजन बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के अनुसार होगा। अगर आपको नियोजन स्वीकार्य हो तो कृपया निम्नांकित प्रपत्र में अपनी सहमति अंकित करते हुए इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सुपुर्द करें तथा दस दिनों के अन्दर उपरोक्त ग्राम कचहरी में योगदान दें।

तिथि :–

स्थान :–

सरपंच का हस्ताक्षर

पूरा नाम, कार्यालय तथा मुहर

अनुसूची–III

सहमति पत्र

मैं .... पिता .... माता .... पता .... बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2013 में अंकित शर्त्तों के अधीन ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर

पूरा नाम :– ....

पता :–

निबंधन सं० पी० टी०–40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना 175) 5 फाल्गुन 1928 (श०)
पटना, शनिवार 24 फरवरी 2007

ग्रामीण विकास विभाग
(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज,
विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

पंचायत राज निदेशालय

अधिसूचना

23 फरवरी 2007

सं0 708—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 2006 की धारा-94 (2) के साथ पठित धारा-146, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार-राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :-जबतक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मे-(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006)

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार-राज्य सरकार।

(ग) "समाहर्त्ता" से अभिप्रेत है जिला का समाहर्त्ता।

(घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है प्रमंडल का आयुक्त।

(ङ) "ग्राम कचहरी" से तात्पर्य है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-90 की उपधारा(1) के अधीन स्थापित ग्राम कचहरी।

(च) "सरपंच" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-93 (1) के अधीन ग्राम कचहरी का निर्वाचित सरपंच।

(छ) "ग्राम कचहरी का पंच" से अभिप्रेत है किसी ग्राम कचहरी का निर्वाचित पंच।

(ज) "अनुमंडल दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अनुमंडल का दंडाधिकारी और इसके अन्तर्गत शामिल कोई अन्य पदाधिकारी, जिसे सरकार इस अधिनियम के अधीन (अनुमंडल) दण्डाधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वाहन करने के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त करे।

(झ) "प्रखंड विकास पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी।

(ञ) "ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक" से अभिप्रेत है राज्य में ग्राम पंचायतों एवं उसकी परिसीमा में आनेवाली ग्राम कचहरी या उसके न्यायपीठों के लेखाओं एवं बहियों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त प्रखंड स्तरीय पंचायत पदाधिकारी या प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी।

(ट) 'वाद' से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय वाद,

(ठ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

3. ग्राम कचहरी न्याय मित्रों का नियोजन :- जिले के प्रत्येक ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता करने के लिए एक न्यायमित्र की संविदा पर नियुक्ति की जा सकेगी।

4. आरक्षण :-

(क) रोस्टर का निर्माण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 458 दिनांक 30.9.2002 के आलोक में जिला स्तर पर किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक कोटि में यथाशक्य 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा।

(ग) महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद को उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

(घ) पदों के समूहीकरण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संकल्प संख्या – 2803 दिनांक 03.10.2006 द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) इस नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण देय होगा।

टिप्पणी :- मेधा के आधार पर चयन होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को विकलांग होने के कारण नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

5. नियुक्ति हेतु :-

(क) अर्हता :-

(i) भारत का नागरिक हों तथा बिहार राज्य के संबंधित जिला का निवासी हों;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम विधि स्नातक डिग्रीधारी प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा।

(ख) आयु :-

जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।

6. नियोजन की प्रक्रिया :- (1) जिले के प्रत्येक ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता करने के लिए एक न्यायमित्र की संविदा पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) जिला स्तर पर गठित रोस्टर के आधार पर जिले के न्यायमित्र की रिक्ति की विवरणी (आरक्षण के दृष्टिकोण से), नियुक्ति की शर्तें एवं नियुक्ति हेतु अर्हताएं जिला परिषद् कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम कचहरी कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी।

(3) विहित प्रपत्र (अनुसूची–1) में आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस निमित्त ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक अथवा उसकी अनुपस्थिति में प्रखंड स्तरीय किसी अन्य पर्यवेक्षक को नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे जो आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे तथा प्राप्ति के बाद प्राप्ति रसीद आवेदक को देंगे एवं प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को ग्राम कचहरीवार पंजी में संधारित करेंगे।

(4) ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेधा अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(5) मेधा निर्धारण में विधि स्नातक डिग्रीधारी के अंकों को आधार बनाया जाएगा।

(6) ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा :–

(क) ग्राम कचहरी के सरपंच – अध्यक्ष

(ख) ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच – सदस्य

(ग) ग्राम कचहरी सचिव – सदस्य सचिव

(7) समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी को "फैसिलिटेटर" के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

(8) समिति की बैठक की कार्यवाही जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निश्चित रूप से भेजी जाएगी।

(9) समिति के अनुमोदनोपरान्त आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के एक माह के अन्दर उक्त पैनल को जिला पदाधिकारी का कार्यालय, जिला परिषद् कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी कार्यालय के सूचना–पट पर प्रकाशित किया जाएगा। पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु पन्द्रह दिनों का समय दिया जाएगा।

(10) पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन की तिथि के पन्द्रह दिनों के अन्दर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में दायर किया जाएगा।

(11) प्राप्त आपत्ति के लिए आपत्तिकर्त्ता को प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

(12) आपत्ति का निराकरण संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि के सात दिनों के अन्दर किया जाएगा एवं तत्पश्चात् ग्राम कचहरी को सूचित किया जाएगा, जिसके अनुसार ग्राम कचहरी आवश्यकतानुसार पैनल संशोधित करेंगे एवं पुनः पैनल को उपनियम–(9) के अनुसार पूर्व की तरह प्रकाशित करेंगे।

(13) अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा।

(14) सर्वप्रथम ग्राम कचहरीवार मेधा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी की रिक्ति भरी जाएगी।

(15) काउंसिलिंग तिथि का प्रकाशन जिला पदाधिकारी का कार्यालय, जिला परिषद् कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी कार्यालय के सूचना पट पर किया जाएगा। काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों की उपस्थिति की प्राप्ति ही जायेगी।

(16) समिति द्वारा ग्राम कचहरी के लिए चयनित अभ्यर्थी को संविदा पर नियोजन हेतु पत्र (अनुसूची-II) ग्राम कचहरी सचिव द्वारा प्रमाण-पत्रों के सत्यापन उपरान्त भेजा जाएगा। सहमति पत्र (अनुसूची-III) के आधार पर योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

(17) ग्राम कचहरी की मेधा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी के रिक्ति को भरे जाने के बाद ग्राम कचहरीवार तैयार किए गये पैनल को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में यदि रिक्ति हो तो संबंधित ग्राम कचहरी की मेधा सूची से अवरोही क्रम में उपर्युक्त समिति द्वारा काउंसिलिंग के आधार पर रिक्ति को भरा जा सके।

7. प्रमाण पत्रों की जाँच।— पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि वे योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की यथाआवश्यक जाँच करा लेंगे। प्रमाण-पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

8. सेवा संबंधी अन्य शर्तें :-

(1) न्याय मित्रों को नियत शुल्क (संविदा राशि) के आधार पर नियोजित किया जायेगा और उन्हें रु० 2,500/— (कुल दो हजार पाँच सौ रु०) प्रतिमाह देय होगा।

(2) ग्राम कचहरी की कार्यावधि पूर्ण होने के साथ न्याय मित्र के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी का संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(3) यह नियुक्ति संविदा के आधार होगी और किसी भी समय सेवा असंतोषप्रद तथा नियम-11 में उल्लेखित कारणों के आलोक में एक माह की पूर्व सूचना देकर न्याय मित्र के पद पर संविदा को रद्द किया जा सकेगा।

(4) उपयुक्त कोटि का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर किसी ग्राम कचहरी विशेष के न्याय मित्र की रिक्ति को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा समीपवर्ती (Contiguous) ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के द्वारा अतिरिक्त प्रभार देकर भरा जाएगा। अतिरिक्त प्रभार के लिए संविदा राशि की 20 (बीस) प्रतिशत राशि प्रतिनियुक्ति भत्ता के रूप में देय होगा।

(5) नियोजन के पूर्व चयनित उम्मीदवार को विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न करना होगा।

9. संविदा राशि का भुगतान :-

अनुपस्थिति प्रतिवेदन/विवरणी के आधार पर सरपंच/उप-सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा;

परन्तु यह कि किसी ग्राम कचहरी में सरपंच अथवा उप-सरपंच दोनों में से किसी एक पद के रिक्त रहने पर पंचों में से आपस में बहुमत द्वारा चयनित एक पंच के संयुक्त हस्ताक्षर से संविदा राशि का भुगतान किया जाएगा।

न्याय मित्र द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य :– अधिनियम की धारा-94(7) के अधीन नियुक्त न्याय मित्र –

(1) ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच एवं पंचों न्यायपीठों को कार्यों के निर्वहन एवं निष्पादन में हर कानूनी पहलू की जानकारी देगा।

(2) ग्राम कचहरी के समक्ष पेश किए गये प्रत्येक मामले को अधिनियम की धारा-108, 110, 111 एवं 113 यथानिर्दिष्ट के अधीन ग्राम कचहरी की अधिकारिता निर्धारण में तथा कोई वाद ग्राम कचहरी के समक्ष सुनवाई योग्य है या नहीं अथवा कोई वाद किसी ग्राम कचहरी के किसी न्यायपीठ द्वारा संज्ञान लिए जाने योग्य है या नहीं, के निर्धारण में सरपंच/न्यायपीठ को विधिक सहायता देगा।

(3) ग्राम कचहरी के न्यायपीठ/पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष लाये गये वादों की सुनवाई संबंधित निर्धारित तारीखों को सरपंच द्वारा निर्देशित/आदेशित सभी आदेश पत्रकों को लिखने में सरपंच की सहायता करेगा।

(4) न्यायपीठ/पूर्ण न्यायपीठ द्वारा किसी वाद की सुनवाई के दौरान वह विधि संबंधित किसी मुद्दे पर कानूनी पक्ष की जानकारी सरपंच एवं संबंधित पंचों को देगा।

(5) अधिनियम के अध्याय–VI में वर्णित उपबंधों के अधीन ग्राम कचहरी और उसकी न्यायपीठों की स्थापना, शक्तियों, कर्तव्यों एवं प्रक्रियाओं के सम्यक, सुगम, समुचित एवं न्यायोचित निष्पादन में ऐसी सभी सहायता एवं सेवाएं समर्पित करेगा जैसा कि सरपंच या न्यायपीठ/पूर्ण न्यायपीठ उससे लिखित रूप से अपेक्षा करे।

(6) ग्राम कचहरी के संचालन के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्व।

11. अनुशासनिक कार्रवाई ।– ग्राम कचहरी से अनुपस्थित रहने, समयानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने तथा कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, भ्रष्ट आचरण, मानसिक दिवालियापन की स्थिति में ग्राम कचहरी के सरपंच या उनकी अनुपस्थिति में उप-सरपंच अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में अंतिम निर्णय इस नियमावली के कंडिका-6(3) की समिति द्वारा लिया जायेगा। उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के आलोक में संबंधित ग्राम कचहरी सचिव द्वारा यथोचित कार्रवाई किया जाएगा।

12. शिकायत ।– इस नियमावली के अधीन ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के संविदा पर नियोजन संबंधी मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत ऐसे नियोजन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी। प्राप्त शिकायत पर निर्णय लेने की शक्ति अनुमंडल दण्डाधिकारी की होगी। संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी अधिकतम 30 दिनों के अन्दर शिकायतों पर निर्णय दे देंगे।

13. अपील ।– अनुमंडल दण्डाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील, ऐसे निर्णय के पारित किये जाने के तीस दिनों अन्दर संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष दायर की जायेगी, जिसकी सुनवाई जिलाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी, जो अपर जिला दण्डाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी होंगे, द्वारा की जायेगी। सुनवाई के पश्चात् निर्णय पारित किया जायेगा।

14. प्रकीर्ण ।– राज्य सरकार इस नियमावली के किसी प्रावधान को अधिसूचना/अनुदेश के द्वारा स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्रखंड अंतर्गत ग्राम कचहरी की कुल संख्या	सचिव के पद पर रिक्ति वाले ग्राम कचहरी का नाम/आरक्षण कोटि		अभ्युक्ति
1	मुजफ्फरपुर।	साहेबगंज	19	अहियापुर	अनारक्षित (महिला)	
2				विशुनपुर पट्टी	पिछड़ा वर्ग	
3				बसंतपुर चैनपुर	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
4		मोतीपुर	29	महमदपुर बलमी	अनुसूचित जाति	
5				बरियापुर दक्षिणी	अनारक्षित (महिला)	
6		पारू	34	उस्ती	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
7				फतेहाबाद	अनारक्षित	
8				देवरिया पश्चिमी	पिछडे वर्गो की महिला	
9				चोचहा छपड़ा	अनारक्षित	
10				रघुनाथपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
11		सरैया	29	रेवा बसुतपुर उतरी	अनारक्षित (महिला)	
12				रामपुर विश्वनाथ	अनुसूचित जाति	
13				गिन्जास	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
14				बेरूआ	पिछड़ा वर्ग	
15				पोखरैरा	अनारक्षित	
16		कॉटी	20	बकटपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
17				झिटकाही मधुबन	अनारक्षित (महिला)	
18				धमौली रामनाथ पश्चिमी	अनुसूचित जाति (महिला)	
19				धमौली रामनाथ पूर्वी	अनारक्षित	
20				दामोदरपुर	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
21		मड़वन	14	झखड़ा शेख	अनारक्षित	

	कुढ़नी	37	जगरनाथपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
23			बसौली	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	
24	मुशहरी	26	भिखनपुर	अनुसूचित जाति	
25			मझौली खेतल	अनारक्षित	
26			सुरता	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
27			शेरपुर	अनारक्षित	
28			रजवाड़ा भगवान	पिछड़ा वर्ग	
29			मुशहरी उर्फ राधानगर	अनारक्षित (महिला)	
30			डुमरी	अनुसूचित जाति	
31			मणिका हरिकेश	अनारक्षित	
32	मीनापुर	29	पैगम्बरपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
33			पानापुर	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
34			रानी खैरा	अनुसूचित जाति (महिला)	
35			तुर्की पूर्वी	अनारक्षित (महिला)	
36			महदेईयॉ	पिछड़ा वर्ग	
37			गोरीगामा	अनारक्षित	
38	बोचहॉ	20	नरमा	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
39			नरकटिया	अनारक्षित	
40			झपहॉ	पिछड़े वर्ग की महिला	
41			गरहॉ	अनारक्षित (महिला)	
42			मझौली	अनुसूचित जाति	
43	औराई	26	जनार जीवाजोर बेनीपुर	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
44			डीहजीवर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
45			खेतलपुर	अनारक्षित	

46				रतवारा पूर्वी	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
47				मलूरा	अनारक्षित (महिला)	
48		कटरा	22	बेरई छतरी	अनुसूचित जाति	
49				कटरा	अनारक्षित	
50				गजुआर मध्य	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
51				गजुआर पूर्वी	अनारक्षित	
52				नगवारा	पिछड़ा वर्ग	
53		गायघाट	23	मैठी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	
54				बरूआरी	अनुसूचित जाति (महिला)	
55		बन्दरा	12	सिमरा	अनारक्षित	
56				सुन्दरपुर रतवारा	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
57				मतलुपुर	अनारक्षित	
58				मुन्नी बैगरी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
59		मुरौल	9	विशुनपुर श्रीराम	अनारक्षित (महिला)	
60				हरसिंगपुरलौतन	अनुसूचित जाति	
61		सकरा	27	सरमस्तपुर	अनारक्षित	
62				मिश्रौलिया	पिछड़ा वर्ग	
63				गन्नीपुर बेझा	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
64				केशोपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
65				मझौलिया	अनारक्षित (महिला)	

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्रखंड अंतर्गत ग्राम कचहरी की कुल संख्या	न्यायमित्र के पद पर रिक्ति वाले ग्राम कचहरी का नाम/आरक्षण कोटि		अभ्युक्ति
1	मुजफ्फरपुर।	साहेबगंज	19	गुलाबपट्टी	अनारक्षित	
2				बंगरा निजामत	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
3				हुस्सेपुर रत्ती	अनारक्षित (महिला)	
4				विशुनपुर पट्टी	अनुसूचित जाति	
5				विशुनपुर कल्याण	अनारक्षित	
6				बसंतपुर चैनपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
7				राजेपुर	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
8		मोतीपुर	29	महमदपुर महमादा	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
9				परसौनीनाथ	अनारक्षित (महिला)	
10				हरनाही	अनुसूचित जाति (महिला)	
11				कमालपुर बिशरौल	अनारक्षित	
12				जटौलिया	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
13				पकड़ी	अनारक्षित	
14				रामपुर भेड़ियाही	अनारक्षित	
15				हरदी	अनारक्षित (महिला)	
16				हरपुर	पिछड़ा वर्ग	
17				पगहिया	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
18				ठिकहा	अनुसूचित जाति	
19				फतेहा	अनारक्षित (महिला)	
20				जहांगीरपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
21				महमदपुर बलमी	अनारक्षित	
22				बरियापुर पश्चिमी	पिछड़े वर्गों की महिला	
23				बरियापुर पूर्वी	अनारक्षित	
24				गोरसंडी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
25				नरियार	अनारक्षित (महिला)	
26				महिमा गोपीनाथपुर	अनुसूचित जाति	
27				चाँदकेवारी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
28				उरती	पिछड़ा वर्ग	
29				बैजलपुर	अनारक्षित	

30	पारू	34	कटारू	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
31			चिन्तामनपुर	अनारक्षित (महिला)	
32			जाफरपुर	अनुसूचित जाति (महिला)	
33			चोचाही छपड़ा	अनारक्षित	
34			जगदीशपुर बाया	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
35			कोईरिया निजामत	अनारक्षित	
36			रामपुर केशो उर्फ मलाही	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
37			भगवानपुर रिमरा	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	
38	सरैया	29	दातापुर पचभिड़वा	अनुसूचित जाति	
39			रेवा बसंतपुर दक्षिणी	अनारक्षित	
40			अम्बारा तेज सिंह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
41			रूपौली	अनारक्षित	
42			नरगी जीवनाथ	पिछड़ा वर्ग	
43			राजारामपुर	अनारक्षित (महिला)	
44			बहिलवारा रूपनाथ उतरी	अनुसूचित जाति	
45			गोरीगामाडीह	अनारक्षित	
46	कॉटी	20	वीरपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
47			बकटपुर	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
48			मानिकपुर नरोतम	अनुसूचित जाति (महिला)	
49			सदातपुर	अनारक्षित (महिला)	
50			मुस्तफापुर	पिछड़ा वर्ग	
51	मड़वन	14	बड़कागॉव दक्षिणी	अनारक्षित	
52			झखड़ा शेख	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
53			गवसरा	अनारक्षित	
54			महम्मदपुर खाजे	पिछड़े वर्गो की महिला	
55			पकड़ी पकोही	अनारक्षित (महिला)	
56			शुभंकरपुर	अनुसूचित जाति	
57	कुढ़नी	37	खरौनाडीह	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
58			लदौरा	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
59			किशनपुर बलौर	अनारक्षित	
60			कुढ़नी	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
61			किशनपुर मधुबन	अनारक्षित (महिला)	
62			केरमा डीह	अनुसूचित जाति	

63			बसौली	अनारक्षित	
64			अमरख	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
65			छितरौली	अनारक्षित	
66			अख्तियारपुर परैया	पिछड़ा वर्ग	
67			झपहाँ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	
68			भिखनपुर	अनुसूचित जाति (महिला)	
69			शेखपुर	अनारक्षित	
70			भगवानपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
71			मधुबनी	अनारक्षित	
72			मझौली खेतल	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
73			खबड़ा	अनारक्षित (महिला)	
74	मुशहरी	26	सुस्ता	अनुसूचित जाति	
75			कन्हौली विशुनदत	अनारक्षित	
76			रोहुआ	पिछड़ा वर्ग	
77			मुशहरी उर्फ राधानगर	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
78			मणिका विशुपुर चॉद	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
79			डुमरी	अनारक्षित (महिला)	
80			छपरा मेघ	अनुसूचित जाति (महिला)	
81			बैकटपुर	अनारक्षित	
82			टेंगरारी	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
83			घोसौत	अनारक्षित	
84			हरशेर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
85			पानापुर	अनारक्षित (महिला)	
86			बाड़ाभारती	अनुसूचित जाति	
87			रानीखैरा	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
88	मीनापुर	26	हरकामानशाही	पिछड़े वर्गो की महिला	
89			चॉदपरना	अनुसूचित जाति	
90			राघोपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
91			कोईली	अनारक्षित (महिला)	
92			गोरीगामा	पिछड़ा वर्ग	
93			मदारीपुर कर्ण	अनारक्षित	
94			मुकसुदपुर	अनुसूचित जाति (महिला)	
95			नरमा	अनारक्षित	

	बोचहाँ	20	राहिला रामपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
97			नरकटिया	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	
98			कफेन चौधरी	अनुसूचित जाति	
99			झपहाँ	अनारक्षित	
100			रामपुर जायपाल	पिछड़ा वर्ग	
101			पटियारा	अनारक्षित	
102			गरहाँ	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
103			कर्णपुर दक्षिणी	अनारक्षित (महिला)	
104			कर्णपुर उत्तरी	अनुसूचित जाति	
105			लोहरारी	अनारक्षित	
106			भूताने	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
107			देवगन	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
108			उनसार	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
109			मझोली	अनारक्षित (महिला)	
110			आदिगोपालपुर	अनुसूचित जाति (महिला)	
111			बल्थी रसुलपुर	अनारक्षित	
112			मेदापुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
113			शर्फुद्दीनपुर	अनारक्षित	
114			विशुनपुर जगदीश	अनारक्षित	
115	औराई	26	धरहरवा	अनारक्षित (महिला)	
116			घनश्यामपुर	पिछड़ा वर्ग	
117			राजखंड उत्तरी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
118			राजखंड दक्षिणी	अनुसूचित जाति	
119			उमापत बसंत	अनारक्षित (महिला)	
120			सरहचिया	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
121			भदई	अनारक्षित	
122			अतरार	पिछड़े वर्गो की महिला	
123			बभनगामा	अनारक्षित	
124			रतवारा पश्चिमी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
125			औराई	अनारक्षित (महिला)	
126			खेतलपुर	अनुसूचित जाति	
127			मथुरापुर बुजुर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	

129	कटरा	22	हथौड़ी	पिछड़ा वर्ग	
130			मधेपुरा	अनारक्षित	
131			शिवदासपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
132			धनौर	अनारक्षित (महिला)	
133			कटरा	अनुसूचित जाति (महिला)	
134			खंगुराडीह	अनारक्षित	
135			लखनपुर	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
136			चंगेल	अनारक्षित	
137			यजुआर पश्चिमी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
138			कटाई	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	
139			बर्री	अनुसूचित जाति	
140			तेहवारा	अनारक्षित	
141	गायघाट	23	बेरूआ	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
142			मैठी	अनारक्षित	
143			महमदपुर सुरा	पिछड़ा वर्ग	
144			जॉता	अनारक्षित (महिला)	
145			कांटा पिरौछा दक्षिणी	अनुसूचित जाति	
146			जमालपुर कोदई	अनारक्षित	
147			बरूआरी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
148			सुस्ता	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
149	बन्दरा	12	बड़गॉव	अनुसूचित जाति (महिला)	
150			रामपुर दयाल	अनारक्षित (महिला)	
151			सुन्दरपुर रतवारा	पिछड़ा वर्ग	
152			मुन्नी बैंगरी	अनारक्षित	
153	मुरौल	9	महमदपुर बदल	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
154			सादिकपुर मुरौल	अनारक्षित	
155	सकरा	27	रामपुर कृष्ण	पिछड़े वर्गो की महिला	
156			रामपुर मणी	अनारक्षित (महिला)	
157			पैगम्बरपुर	अनुसूचित जाति	
158			गन्नीपुर बेझा	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
159			डीहुली इशहाक	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
			सरमस्तपुर	अनारक्षित	

160				मिश्रौलिया	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
161				चंदनपट्टी	अनारक्षित (महिला)	
162				गझौलिया	अनुसूचित जाति	

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।